

दिनांक—18.08.2023

वाद पुकारा। पत्रावली पेश। परिवादी मय विद्वान अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश अरोरा उपस्थित। अभियुक्त मय विद्वान अधिवक्ता श्री अंकित वर्मा उपस्थित। अभियुक्त द्वारा अधिवक्ता प्रार्थना पत्र वास्ते अभियुक्त से प्रतिपरीक्षा करने एवं प्रार्थना पत्र वास्ते मूल कागजात अभियुक्त से तलब करने सम्बन्धी प्रार्थना पत्रों पर आपत्ति प्रस्तुत की गयी। तत्पश्चात उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त प्रार्थना पत्रों पर बहस सुनी गयी।

पत्रावली दिनांक 08.09.2023 को वास्ते आदेश पेश हो।

(सिद्धार्थ कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रामनगर, जिला—नैनीताल।